न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2014 G.C.M.S. No. 2014/00148 दर्ज दिनांक : 21.10.2014

अपीलार्थी:

1. पेमा पुत्र ओका, जाति सिरवी
2. खरताराम पुत्र मूला, जाति सिरवी, निवासीगण खारड़ा तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया, तहसील रानी व जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर कैम्प किशनपुरा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/शिविर/2029 दिनांक 21.02.2013 अंतर्गत धारा 92, 102ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति।

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर कैम्प किशनपुरा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/शिविर/2029 दिनांक 21.02.2013 अंतर्गत धारा 92, 102ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि खसरा नम्बर 659 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम मौजा खारड़ा तहसील रानी में स्थित है। जिस भूमि के पडौस में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 657 से चिप्ती आई हुई हैं। आदेश जैर अपील में वर्णित भूमि पर अपीलाण्ट का बाडा पिछले करीब 40–50 वर्षों से यानि पूर्वजों के समय से आज दिन तक बना हुआ मौजुद था रहा एवं है जिस बाडें में अपीलाण्ट के मावेशी गाय भैंसे वगैरह बंधती रही है एवं उक्त बाडें में अपीलाण्ट के खण्डे (पत्थर), लकडियां एवं गौबर का कुड़ा भी आज भी मौके पर मौजूद है एवं उक्त बाडें के चारों तरफ कांटों की बाड़ अपने पूर्वजों से बनी हुई मौके पर मौजूद है जिससे उक्त भूमि बहक अपीलाण्ट्स बतौर छोटी पट्टी के काबिल नियमन के थीं व है जिस निस्बत पूर्व में ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा अनापति

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2006 को बहक अपीलाण्ट्स जारी किया गया जो अनापति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.01.2006 को अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 658 में स्थित कुएँ में पानी कम होने से अपीलाण्ट्स का कब्जासुदा बाड़ा खसरा नम्बर 659 में कुआं खोदने बाबत् अनापति प्रमाण पत्र जारी किया था। जिस अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2006 एवं प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.01.2006 की नकलें प्रमाणित साथ पेश है एवं उक्त खसरा नम्बर 659 रकबा 0.14 हैक्टेयर में अपीलाण्ट्स द्वारा कुआं खोदने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का ढारिया द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में कब्जा होने से अनुशंषा की गई की नकल प्रमाणित साथ पेश हैं। उक्त आराजी 659 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ धारा 92 व 102–ए आर.एल.आर एक्ट 1956 के तहत अदालत मातहत ने सेट अपार्ट करने का आदेश दिनांक 21.02.2013 का नियम विरूद्ध एवं खिलाफ कानूनी सादिर करने के पूर्व प्रभावित पक्षकार अपीलाण्ट्स को नोटिस जवाब शहादत सुनवाई हेतु कतई नहीं दिया जिससे उक्त आदेश दिनांक 21.02.2013 नियम कानून एवं इंसाफ के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होने से काबिल निरस्त के हैं एवं उक्त आदेश दिनांक 21.02.2013 के विरूद्ध अपीलाण्ट्स की अपील पेश हैं। उक्त आदेश दिनांक 21.02.2013 की नकल प्रमाणित साथ पेश है। खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रमाणित साथ पेश हैं। नक्शा व अपीलाण्ट्स की आदेश जैर अपील में वर्णित भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा होने से एवं उक्त भूमि के पडौस में अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि स्थित होने से उक्त भूमि अपीलाण्ट्स को बतौर छोटी पट्टी के कानूनन काबिल नियमन के थी व है। जिस कानून की अहम स्थिति पर बिना गौर किये एवं बिना अपीलाण्ट्स को शहादत सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया गया है। आदेश जैर अपील में अंकित भूमि को इस कदर सेट–अपार्ट करने के पूर्व अदालत मातहत ने जिला कलक्टर महोदय एवं राज्य सरकार की स्वीकृति कतई नहीं ली गई एवं ग्राम खारड़ा की आबादी कम–ज्यादा बाबत् भी बिना किसी प्रकार की स्थिति बाबत् मौका रिपोर्ट लिये व जांच किये आदेश पारित किया गया है। दिनांक 16.10.2014 को पटवारी हल्का ढारिया द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल करने हेतु आये तब अपीलाण्ट्स ने कहा कि उक्त भूमि पर हमारा पुश्तैनी कब्जा है तब पटवारी हल्का ढारिया द्वारा अपीलाण्ट्स को कहा कि प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशासन गाँवो के संग अभियान कैम्प किशनपुरा में दिनांक 21.02.2013 को आबादी विस्तार हेतु भूमि को ग्राम पंचायत के नाम कर दी हैं। इसलिए आदेश जैर अपील की पालना में कब्जा हटाने

राजस्व अपील प्राधिकारी

का आदेश है, तब अपीलाण्ट्स ने पटवारी हल्का को ग्राम पंचायत के नाम आबादी भूमि होने की नकल मांग की तब पटवारी हल्का द्वारा म्युटेशन संख्या 506 की नकल प्रमाणित दिनांक 16.10.2014 को जारी की। तत्पश्चात् उक्त म्यूटेशन संख्या 506 को अपने वकील को पढ़ाने पर उसी दिन अपने वकील की सलाह अनुसार आदेश दिनांक 21.02.2013 की नकल हेतु तहसील रानी मे जाकर दिनांक 16.10.2014 को एप्लाई करवाई जिस पर उक्त आदेश जैर अपील की नकल अपीलाण्ट्स को दिनांक 17.10.2014 को शाम को प्राप्त हई जिसको पढने एवं पढाने पर अपीलाण्ट्स को आदेश जैर अपील का सर्वप्रथम प्रथम बार ज्ञान दिनांक 17.10.2014 को ही हुआ, उसके पूर्व आदेश जैर अपील का कतई कोई ज्ञान अपीलाण्ट्स को नहीं था। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रभारी अधिकारी द्वारा ग्राम खारड़ा के सिवायचक भूमि खसरा संख्या 634 रकबा 1.56 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 659 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम पंचायत की मांग कर ग्राम पंचायत ढारिया को आबादी विस्तार हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 व 102ए के अंतर्गत बी.पी.एल., एस.सी., एस.टी एवं पिछड़े वर्ग के आवासहीन लोगों के आवास हेतु आदेशांक 2029 दिनांक 21.02.2013 को आरक्षित/आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ हस्तगत अपील दिनांक 21.10.2014 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पर एकमात्र कब्जा पीढ़ियों से अपीलांट का रहा है एवं आज भी अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित/आरक्षित की हैं। उक्त भूमि में अपीलांट के हित निहित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।
3. अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि को स्थानीय ग्राम पंचायत की

राजस्व अपील प्राधिकारी

मांग पर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित/आवंटित की गई हैं। चूंकि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अतः उक्त भूमि में किसी भी दृष्टि से अपीलांट का कोई भी हक या अधिकार निहित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें सुना जाना कतई आवश्यक नहीं था। अपीलांट का यह कथन कि उसका अपीलाधीन आराजी पर कब्जा होने से उसका उक्त आराजी में हित निहित है, हमारे विनम्र मत में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपीलांट का यदि कब्जा भी हैं तो ऐसा कब्जा महज विधिविरूद्ध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा कोई भी अतिक्रमी कानूनन बेदखली के हकदार होते हैं न कि अतिक्रमण से किसी प्रकार का कोई अधिकार या हित सृजित होता हों। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का कोई हित निहित नहीं होने, अपीलाधीन आराजी आवंटन से पूर्व राजकीय सिवायचक भूमि होने तथा अपीलांट महज विधिविरूद्ध अतिक्रमी होने से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी भी रूप में पीड़ित व प्रभावित पक्ष नहीं हैं। अतः अपीलांट का कोई ***Locus standi*** नहीं होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना व इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner